—: राजस्थान सरकार :—

न्यायालय न्याय निर्णायक अधिकारी एवं अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट धौलपुर

पीठासीन अधिकारी :— बाल कृष्ण तिवारी (आर0ए0एस0)
अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट, धौलपुर

प्रकरण संख्या :— 08/2022

उनवान प्रकरण

विश्वबन्धु गुप्ता , खाद्य सुरक्षा अधिकारी, कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वा0 अधिकारी धौलपुर राज0

.....आवेदक

बनाम

1. सुरेश चन्द गुप्ता (मालिक/ विकेता) पुत्र श्री रामकुमार गुप्ता, मैसर्सः गिरवर लाल रामकुमार एण्ड सन्स ,स्टेशन रोड , धौलपुर, निवासी पचौरी पाडा पुराना शहर, धौलपुर ।
2. राजेश वर्मा पुत्र श्री रामखिलाडी , नोमिनी मैसर्सः श्री गिर्राज सुपारी ट्रेडर्स एल एल पी, 2,जगन्नाथ पुरी ,मथुरा (उप्र) निवासी—224 गोपेश्वर वृन्दावन, बांगर, मथुरा(उप्र) ।
3. मैसर्सः श्री गिर्राज सुपारी ट्रेडर्स एल एल पी, 2,जगन्नाथ पुरी ,मथुरा (उप्र)

.....अभियुक्तगण

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 26 की उप धारा 2 (ii)/52 एफ0एस0एस0 एक्ट 2006 रूल्स 2011

उपस्थिति :—

आवेदक की ओर से :— श्री विश्वबन्धु गुप्ता, खाद्य सुरक्षा अधिकारी
अभियुक्त की ओर से :— स्वंय (अस्सालतन)

निर्णय

दिनांक — 27.12.2023

प्रकरण के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि प्रस्तुत प्रार्थना पत्र श्री विश्वबन्धु गुप्ता खाद्य सुरक्षा अधिकारी कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी धौलपुर ने अप्रार्थीगण के विरुद्व अन्तर्गत धारा 26 की उप धारा 2 (ii)/52 एफ0एस0एस0 एक्ट 2006 रुल्स 2011 के तहत इस आशय का पेश किया कि आवेदक द्वारा दिनांक 16.02.2022 को सुबह 11.30 एएम बजे मैसर्सः गिरवर लाल रामकुमार एण्ड सन्स ,स्टेशन रोड , धौलपुर, निवासी पचौरी पाडा पुराना शहर, धौलपुर जिला धौलपुर पर पहुँचा मौजूद व्यक्ति को अपना परिचय देकर उसके नाम व पते पूछे , तो उसने अपना नाम श्री सुरेश चन्द गुप्ता (मालिक/ विकेता) पुत्र श्री रामकुमार गुप्ता, मैसर्सः गिरवर लाल रामकुमार एण्ड सन्स ,स्टेशन रोड , धौलपुर, निवासी पचौरी पाडा पुराना शहर, धौलपुर होना जाहिर किया एवं मौके पर खाद्य अनुज्ञापत्र संख्या 12215002200007 होना जाहिर किया ।

Scanned with CamScanner

उक्त निरीक्षण के दौरान पाया कि उक्त विक्रता की दुकान पर रखे हुये 4 कट्टों में प्रत्येक में 48 पाउच कुल लगभग 192 पाउच स्वीटी सुपरी रखे हुये थे ,उक्त प्रत्येक पाउच में 12 छोटे पैक रखे हुये थे जो आमजन को विक्रय करने हेतु रखा था । उक्त स्वीटी सुपारी में मिलावट एवं मिथ्याछाप का शक हुआ तो आवेदक ने उक्त स्वीटी सुपरी का नमूना वास्ते जॉच देने हेतु कहा विक्रेता को प्रपत्र 5 (ए) के देकर एक प्रति प्राप्ति के हस्ताक्षर लिए एवं गवाहान के हस्ताक्षर करवाकर मैंने भी हस्ताक्षर किये जो पत्रावली में संलग्न है । विक्रेता की उक्त रैंक में रखे स्वीटी सुपारी में से 20 पाउच स्वीटी सुपारी 120 ग्राम वजनी वास्ते नमूना जॉच खरीदे । उक्त खरीदशुदा स्वीटी सुपारी की कीमत विक्रेता को रूपये 1000/—(अक्षरे एक हजार रूपये मात्र) नगद देकर रसीद प्राप्त की जिसपर विक्रेता गवाहान के हस्ताक्षर करवाकर मैंने भी हस्ताक्षर किये । खरीद शुदा 20 पाउच स्वीटी सुपारी चार नमूना भाग तैयार किया जिस पर लेबल तैयार कर प्रत्येक नमूना भाग पर चिपकाये और लेबलों पर अभिहित अधिकारी एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी धौलपुर के कोड क्रमांक डी—2352 खाद्य सुरक्षा अधिकारी का नाम ,पदनाम, खाद्य वस्तु का नाम, नमूना लेने का स्थान, आदि दर्ज कर स्वयं ने हस्ताक्षर किये एवं विक्रेता तथा गवाहान के हस्ताक्षर कराये । चारों नमूना भागों को अलग—अलग खाकी कागज में लपेटकर कागज के कोनों को गोंद से चिपकाया प्रत्येक भाग पर अभिहित अधिकारी एवं मुख्य स्वास्थ्य चिकित्सा अधिकारी धौलपुर की हस्ताक्षरशुदा पेपर स्लिप नं0 डी—2352 नियमानुसार चारों नमूना भागों को चिपकाकर विक्रेता एवं गवाहान के हस्ताक्षर कराये गये । आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा मौके पर की गई कार्यवाही की एक फर्द रिपोर्ट तैयार की गई जिसको पढ.कर सुनाकर ,समझाकर विक्रेता के हस्ताक्षर करवाये एवं गवाहों के हस्ताक्षर करवाकर आवेदक ने भी हस्ताक्षर किये । खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने कार्यालय पहुॅचकर फार्म vi की छः प्रतियॉ तैयार कर प्रत्येक प्रति पर नमूना सील लगाई जिससे नमूना मौके पर सी बन्द किये । एक नमूना भाग मय फार्म संख्या vi की एक प्रति चिपकाकर एवं सील चपडी कर खाद्य विश्लेषक राजस्थान खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्रयोगशाला भरतपुर को जमा कराकर रसीद प्राप्त की । आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी को अभिहित अधिकारी एवं मुख्य चिकित्सा स्वास्थ्य अधिकारी के पत्र क्रमांक 77 दिनांक 07.03.2022 के द्वारा ज्ञात हुआ कि खाद्य विश्लेषक राजस्थान भरतपुर से प्राप्त जॉच रिपोर्ट एलएस/270/एक्ट/2022/270 दिनांक 24.02.2022 के अनुसार विक्रेता द्वारा वास्ते नमूना जॉच विक्रय किया स्वीटी सुपारी मिसब्राण्ड (Misbranded) प्रकृति का पाया गया । उक्त केस में स्वीटी सुपारी मिसब्राण्ड (Misbranded) का विक्रय करके विक्रेता श्री सुरेश चन्द गुप्ता (मालिक/ विक्रेता) पुत्र श्री रामकुमार गुप्ता, मैसर्सः गिरवर लाल रामकुमार एण्ड सन्स ,स्टेशन रोड , धौलपुर, निवासी पचौरी पाडा पुराना शहर, धौलपुर ,राजेश वर्मा पुत्र श्री रामखिलाडी , नोमिनी मैसर्सः श्री गिर्राज सुपारी ट्रेडर्स एल एल पी, 2,जगन्नाथ पुरी ,मथुरा (उप्र) निवासी—224 गोपेश्वर वृन्दावन, बांगर, मथुरा(उप्र) एवं मैसर्सः श्री गिर्राज सुपारी ट्रेडर्स एल एल पी, 2,जगन्नाथ पुरी ,मथुरा (उप्र) खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 की धारा 26 (2)(ii) का उल्लघंन किया है जो सबस्टेण्डर्ड प्रकृति का है जिसका जुर्माना धारा 52 में वर्णित है । अतः प्रकरण में उचित जुर्माना करने का अनुरोध किया है ।

Scanned with CamScanner

—: राजस्थान सरकार:—

न्यायालय न्याय निर्णायक अधिकारी एवं अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट धौलपुर

एफ.एस.एस.एक्ट प्रकरण सं0 98/2022 सरकार बनाम सुरेश चन्द गुप्ता बगैरा

(3)

प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया। अप्रार्थीगण स्वंय उपस्थित हुये। अप्रार्थीगण को आरोप पढकर सुनाया गया। अप्रार्थीगण ने कहा कि अप्रार्थीगण कानूनी प्रकिया से अनभिज्ञ है। साथ ही अप्रार्थीगण द्वारा जबाव पेश कर अपना जुर्म स्वीकार करते हुये कम से कम जुर्माना कर प्रकरण को निस्तारण करने की प्रार्थना कर अपनी लिखित सहमति व्यक्त की।

प्रकरण में पैरोकार सरकार एवं अप्रार्थीगण की बहस सुनी गई। अप्रार्थीगण ने बहस के दौरान अपने कथनों में अपना जुर्म स्वीकार किया तथा भविष्य में इस तरह की पुनरावृत्ति नहीं करने एवं कम से कम जुर्माना कर प्रकरण का निस्तारण करने की सहमति व्यक्त की ।

हमने पैरोकार सरकार व अप्रार्थीगण को सुना तथा पत्रावली पर उपलब्ध रेकार्ड का अवलोकन किया। अप्रार्थीगण द्वारा अपना जुर्म स्वीकार करने से प्रमाणित होता है कि अप्रार्थीगण ने उक्त स्वीटी सुपारी सुपारी मिसब्राण्ड (Misbranded) का विकय करके खाद्य संरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 की धारा 26 (2)(ii) का उल्लघंन किया है । इस प्रकार अप्रार्थीगण उक्त स्वीटी सुपारी सुपारी मिसब्राण्ड (Misbranded)बेचने का दोषी है जो धारा 52 के तहत जुर्माना योग्य अपराध है।

हालांकि उक्त प्रकरण में The Food Safety and Standards Act, 2006 Ruls 52 एवं विनिमय–2011 के उल्लंघन की दशा में मिसब्राण्ड (Misbranded)में राशि तीन लाख रूपये की अधिकतम सीमा तक जुर्माना / दण्ड / शास्ति आरोपित किए जाने का प्रावधान है ,तदापि सहानुभूति पूर्वक विचार किया जाकर प्रकरण इस प्रकार निर्णित किया जाना उचित समझते है।

अतः अप्रार्थीगण श्री सुरेश चन्द गुप्ता (मालिक/ विकेता) पुत्र श्री रामकुमार गुप्ता, मैसर्सः गिरवर लाल रामकुमार एण्ड सन्स ,स्टेशन रोड , धौलपुर, निवासी पचौरी पाडा पुराना शहर, धौलपुर ,राजेश वर्मा पुत्र श्री रामखिलाडी , नोमिनी मैसर्सः श्री गिर्राज सुपारी ट्रेडर्स एल एल पी, 2,जगन्नाथ पुरी ,मथुरा (उप्र) निवासी–224 गोपेश्वर वृन्दावन, बांगर, मथुरा(उप्र) एवं मैसर्सः श्री गिर्राज सुपारी ट्रेडर्स एल एल पी, 2,जगन्नाथ पुरी ,मथुरा (उप्र) पर सहमति से प्रकरण के तथ्यों को दृष्टिगत रखते हुए खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 की धारा 52 के तहत राशि 5000/– रूपये (पॉच हजार रूपये) जुर्माना लगाया जाता है । जुर्माने की राशि कैशियर कलेक्ट्रैट कार्यालय, धौलपुर को जमा करावें। बाद तकमील पत्रावली दाखिल दफ्तर हो। प्रकरण नम्बर से कम किया जावे। निर्णय मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

न्याय निर्णायक अधिकारी एवं
(बन्सी कृष्ण तिवारी)
न्याय निर्णायक अधिकारी एवं
अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट,
धौलपुर (राज0)

Scanned with CamScanner